

प्रेषक,

दुर्ग नरायन सिंह,
जिला एवम् सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक : 804/1

दिनांक : 09 जून, 2021

विषय : प्रतिष्ठित ओमेक्स कम्पनी लिमिटेड की लखनऊ गोमती नगर एक्सटेंशन स्थित रेजीडेंसी- 2 परियोजना से अपार्टमेंट/फ्लैट एकैशिया- सी 202 क्रय किये जाने की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रतिष्ठित ओमेक्स कम्पनी लिमिटेड की लखनऊ गोमती नगर एक्सटेंशन स्थित रेजीडेंसी- 2 की बहूमंजिली आवासीय परियोजना का 112.78 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया एवम् 101.73 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया के एक यूनिट का आवासीय अपार्टमेंट/फ्लैट क्रय करने हेतु दिनांक 15.07.2011 को अपने भारतीय स्टेट बैंक की सचिवालय शाखा लखनऊ स्थित बचत खाता संख्या- 11120750830 का चेक संख्या- 421165 मुबलिग 2,00,000/- (दो लाख रुपये) धनराशि का ओमेक्स कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में निर्गत कर आवासीय अपार्टमेंट/फ्लैट बुक कराया गया और तत् क्रम में कम्पनी से क्रमानुसार निर्माण संगत भुगतान के अधीन करार कर विभिन्न समयों पर कुल धनराशि लगभग 40,19,268/-रुपये (चालीस लाख, उन्नीस हजार, दो सौ अड़सठ रुपये) का भुगतान कर दिनांक 04.06.2021 को पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित कराकर उपरोक्त ओमेक्स कम्पनी लिमिटेड से एक अद्द आवासीय अपार्टमेंट/फ्लैट यूनिट संख्या- एकैशिया सी. 202 उक्त दिनांक 04.06.2021 को क्रय किया गया, जिससे सम्बन्धित विक्रय विलेख की छाया प्रति प्रार्थना-पत्र के साथ अवलोकनार्थ संलग्न है। **(संलग्नक-1)** प्रार्थी द्वारा उपरोक्त अपार्टमेंट/फ्लैट क्रय किये जाने व विक्रय विलेख निष्पादन हेतु अपने उपरोक्त बचत खाता संख्या- 11120750830 से आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान कर मुबलिग 2,80,600/- (दो लाख, अस्सी हजार, छः सौ रुपये) का ई-स्टैम्प क्रय किया गया। उक्त आर0टी0जी0एस0 का यूटीआर नम्बर- SBINR52021053126495713 दिनांकित 31.05.2021 है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.06.2021 को अपने भारतीय स्टेट बैंक की सचिवालय शाखा, लखनऊ स्थित एच.यू.एफ. बचत खाता संख्या- 33881135757 से मुबलिग 50,000/-रुपये (पचास हजार रुपये) आहरित कर उक्त बैनामे की तिथि दिनांक 04.06.2021 को पंजीयन शुल्क 40,400/-रुपये (चालीस हजार चार सौ रुपये) पंजीयन कार्यालय में नकद भुगतान किया गया और मुबलिग 5,200/-रुपये (पांच हजार दो सौ रुपये) अभिलेख तैयार करने सम्बन्धी शुल्क ओमेक्स कम्पनी लिमिटेड के अधिवक्ता को नकद भुगतान किया गया। उपरोक्त से सम्बन्धित खातो का विवरण संलग्न है। **(संलग्नक-2)**

महोदय यह भी अवगत कराना है कि ओमेक्स कम्पनी लिमिटेड को मेरे द्वारा विभिन्न तिथियों पर उपरोक्त जो धनराशि मुबलिग 40,19,268/-रुपये (चालीस लाख, उन्नीस हजार, दो सौ अड़सठ रुपये) बुकिंग के बाद करार होने के अनुक्रम में निर्माण

के विभिन्न सोपान पर ओमेक्स कम्पनी लिमिटेड को अदा की गयी। उसमे से कुछ धनराशि मेरे द्वारा अपने उपरोक्त बचत खाता संख्या- 11120750830 से चेक के माध्यम से की गयी। इसके अतिरिक्त इस हेतु मेरे द्वारा भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा, लखनऊ (आर0ए0सी0पी0सी0, लखनऊ) से मुबलिग 30,00,000 (तीस लाख रुपये) आवासीय ऋण स्वीकृत कराया गया, जिसका आवासीय ऋण खाता संख्या- 0034509109179 है, जिसका नाम एस0बी0आई0 एच0एल0 मैक्स गेन ओडी है, जो वर्ष 2015 में प्रार्थी द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से आवासीय ऋण स्वीकृत कराया गया। समय-समय पर ओमेक्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त आवासीय ऋण खाते से तत् सम्बन्धित धनराशि आहरित कर नेफ्ट के माध्यम से ओमेक्स कम्पनी लिमिटेड को अन्तरित किया गया। मेरे द्वारा समय-समय पर उपरोक्त ओमेक्स कम्पनी लिमिटेड को अदा की गयी विभिन्न धनराशियों का विवरण वर्षवार माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित सम्पत्ति विवरण में उल्लेख किया गया है तथा उपरोक्त आवासीय ऋण सुविधा भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त किये जाने सम्बन्धी सूचना एवम् अभिलेख की छाया प्रति माननीय न्यायालय के पत्र संख्या- 9247/IV-2894 (A-4) : Dated Allahabad 14-06-2016 के प्रतिउत्तर में प्रार्थी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 23.06.2016 के साथ प्रेषित किया गया था, जिसे श्रीमान् प्रमुख सचिव न्याय/विधि परामर्शी उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पृष्ठांकित किया गया था। आवासीय ऋण करार सम्बन्धी प्रपत्र संलग्न है। (संलग्नक- 3), ओमेक्स कम्पनी लिमिटेड को किये गये भुगतान की रसीद तथा उससे सम्बन्धित बचत खाता व आवासीय ऋण खाते का विवरण संलग्न है। (संलग्नक- 4 व 5)

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्राप्त की गयी आवासीय ऋण के पुनर्भुगतान की धनराशि प्रारम्भ में 31,000/-रुपये (इक्कीस हजार रुपये) प्रतिमाह था, जो बाद में 35,000/-रुपये (पैंतीस हजार रुपये) प्रतिमाह तय हुई, जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा ऋण ली गयी धनराशि का उपरोक्त भारतीय स्टेट बैंक स्थित शाखा से धनराशि आहरित कर पुनर्भुगतान किया गया और समय-समय पर प्रार्थी के उपरोक्त बचत खाते में यथासमय उपलब्ध धनराशि में से भी पुनर्भुगतान किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा ओमेक्स लिमिटेड को उपरोक्त फ्लैट कय किये जाने हेतु तय प्रतिफल की धनराशि क्रमानुसार पूर्व में ही भुगतान किया जा चुका था, इसलिए दिनांक 31.05.2021 को उपरोक्त आवासीय ऋण खाता बन्द कर दिया गया। उपरोक्त आवासीय ऋण के सम्बन्ध में विवरण भी प्रार्थी द्वारा समय-समय पर माननीय न्यायालय को प्रेषित सम्पत्ति विवरण में उल्लिखित किया गया है। प्रार्थी द्वारा समय-समय पर ओमेक्स लिमिटेड कम्पनी को चेक के माध्यम से किये गये भुगतान एवम् आवासीय ऋण से किये गये भुगतान के सम्बन्ध में तिथिवार विवरण प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है। (संलग्नक- 6)। ओमेक्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा भुगतान प्राप्ति के सम्बन्ध में निर्गत विवरण भी संलग्न है। (संलग्नक- 7)

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार सूचना निम्नवत् है :-

- 1- मेरे द्वारा दिनांक 05.08.1999 को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अन्तर्गत तृतीय अतिरिक्त सिविल जज (जू0डि0) कन्नौज के पद पर कार्य-भार ग्रहण किया गया है।
- 2- वर्तमान समय में मेरा मूल वेतन 61,690/-रुपये कुल वेतन 1,85,769/-रुपये तथा कटौती के पश्चात् मेरे उक्त बचत खाते में 1,34,369/-रुपये प्राप्त होता है। मेरे द्वारा बचत खाता संख्या- 11120750830 से प्रतिमाह 10,000/-रुपये म्यूचुअल

फण्ड में निवेश किया जाता है तथा 2400/-रूपये भारतीय जीवन बीमा निगम की किस्त अदा की जाती है। मेरे द्वारा पूर्व में किये गये निवेश सम्बन्धी विवरण माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित द्विवार्षिक सम्पत्ति विवरण में विस्तार से उल्लिखित किया गया है।

3- उक्त ओमेक्स कम्पनी लिमिटेड से न तो मेरा किसी भी प्रकार से कोई सम्बन्धी है और न ही उक्त से सम्बन्धित कोई केस मेरे समक्ष लम्बित है और न ही कोई केस उक्त कम्पनी के सम्बन्ध में मेरे द्वारा निर्णीत किया गया है।

अतः उपरोक्त विवरण एवम् सूचना माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्गत परिपत्र के अनुपालन में माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है और श्रीमान् जी से निवेदन है कि कृपया उपरोक्त विवरण एवम् सूचना माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर,

दिनांक : 09/07/2021

भवदीय,

(दुर्ग नरसयन सिंह)

जिला एवम् सत्र न्यायाधीश,
गोरखपुर।

संलग्नक :-

- 1- विक्रय विलेख की छाया प्रति, (संलग्नक- 1)
- 2- ई-स्टाम्प कय करने हेतु खाते से अन्तरित धनराशि व स्टाम्प शुल्क कय करने हेतु आहरित नकद धनराशि सम्बन्धी खाते का विवरण, (संलग्नक- 2)
- 3- आवासीय ऋण खाते सम्बन्धित करार विलेख की छाया प्रति, (संलग्नक- 3)
- 4- ओमेक्स कम्पनी लिमिटेड को किये गये भुगतान की रसीद, (संलग्नक- 4)
- 5- आवासीय ऋण खाते से किये गये भुगतान तथा बचत खाते से किये गये भुगतान से सम्बन्धित बैंक विवरण, (संलग्नक- 5)
- 6- चेक एवम् आवासीय ऋण के माध्यम से किये गये भुगतान के सम्बन्ध में तिथिवार विवरण, (संलग्नक- 6)
- 7- भुगतान प्राप्ति के सम्बन्ध में ओमेक्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्गत विवरण, (संलग्नक- 7)